

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
PRINCIPAL BENCH AT NEW DELHI**

ORIGINAL APPLICATION NO. 248 OF 2025

IN THE MATTER OF:
AMIT MADDHESHIYA

.... APPLICANT

VERSUS

**U.P. POLLUTION CONTROL BOARD
& ORS.**

.... RESPONDENTS

INDEX

SLNo.	PARTICULARS	PAGES
1.	AFFIDAVIT ON BEHALF OF RESPONDENT NO.-1, UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD	1-9
2.	<u>ANNEXURE-1</u> Copy of the Closer order dated 15.07.2021	10
3.	<u>ANNEXURE-2</u> Spot Memo dated 09.03.2026	11
4.	<u>ANNEXURE-3</u> Photograph of the site	12
5.	<u>ANNEXURE-4</u> Closer order dated 16.07.2025	13
6.	<u>ANNEXURE-5</u> Copy of the spot Memo 09.03.2026	14
7.	<u>ANNEXURE-6</u> Photograph of the site	15-16
8.	<u>ANNEXURE-7</u> Closer order dated 16.07.2025	17
9.	<u>ANNEXURE-8</u> Copy of the spot Memo date 09.03.2025	18

10.	<u>ANNEXURE-9</u> Photograph of the site	19-20
11.	<u>ANNEXURE-10</u> Closer order dated 16.07.2025	21
12.	<u>ANNEXURE-11</u> Copy of the spot Memo date 09.02.2026	22
13.	<u>ANNEXURE-12</u> Photograph of the site	23-24
14.	<u>ANNEXURE-13</u> Closer order dated 16.07.2025	25
15.	<u>ANNEXURE-14</u> Copy of the spot Memo date 09.03.2026	26
16.	<u>ANNEXURE-15</u> Photograph of the site	27
17.	<u>ANNEXURE-16</u> Closer order dated 01.09.2025	28-29
18.	<u>ANNEXURE-17</u> Copy of the spot Memo date 10.03.2026	30
19.	<u>ANNEXURE-18</u> Photograph of the side	31
20.	<u>ANNEXURE-19</u> Closer order dated 24.11.2025	32-33
21.	<u>ANNEXURE-20</u> Copy of the spot Memo date 10.03.2025	34
22.	<u>ANNEXURE-21</u> Photograph of the site	35
23.	<u>ANNEXURE-22</u> Closer order dated 01.09.2025	36-37
24.	<u>ANNEXURE-23</u> Copy of the spot Memo date 09.03.2025	38
25.	<u>ANNEXURE-24</u> Photograph of the site	39
26.	<u>ANNEXURE-25</u> Closer order dated 01.09.2025	40-41

27.	<u>ANNEXURE-26</u> Copy of the spot Memo date 09.03.2026	42
28.	<u>ANNEXURE-27</u> Photograph of the site	43
29.	<u>ANNEXURE-28</u> That the brick kilns which have been found operational inspite of closure order, Environmental Compensation against the same has been calculated	44-47

NEW DELHI

DATED: 14 .03.2026



(PRADEEP MISRA & DALEEP DHYANI)

Counsel for U.P. Pollution Control Board

138, New Lawyers Chamber,

Supreme Court of India,

New Delhi-110001

(M.) 9810252518

Email: pradeepmisra@yahoo.com

**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

ORIGINAL APPLICATION NO. 248 OF 2025



IN THE MATTER OF:

Amit Maddheshiya

.... Applicant

Versus

**Uttar Pradesh Pollution Control Board
&Ors.**

.... Respondents

**AFFIDAVIT ON BEHALF OF RESPONDENT NO.-1, UTTAR
PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD**

I, Ashutosh Chauhan aged about 45 years, S/o Late Shri Ratan Singh Chauhan presently posted as Regional Officer, Uttar Pradesh Pollution Control Board (hereinafter referred to as UPPCB), Gorakhpur do hereby solemnly affirm and state on oath as under:

1. That in the official capacity mentioned above, I am acquainted with the facts and circumstances of the case and as such I am competent and authorized to swear this affidavit.

2. That by mean of the present original application the applicant has raised a grievance against illegally operating Brick Kilns in Kushinagar District. By mean of the present original application the applicant alleging that 09 brick kilns namely M/s Anil Kumar Singh HUF (Respondent No.-8),



**NOTARY
GORAKHPUR**

M/s Brij Narayan Singh HUF (Respondent No.-9), M/s R. K. B. Ent Udyog (Respondent No.-10), M/s Radhe Krishna Enterprises (Respondent No.-11), M/s Barister Singh Ent Udyog (Respondent No.-12), M/s Janta Ent Nirmata (Respondent No.-13), M/s Jai Maa Vidhyawashini Ent Udyog (Respondent No.-14), M/s Jai Ambey Ent Udyog (Respondent No.-15) and M/s Ravindra Pratap Singh BKO (Respondent No.-16) are operating in violation of statutory provisions and environmental norms without obtaining the Consent to Establish (CTE) and Consent to Operate (CTO) under the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 and the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 and these Brick Kilns are using the prohibited fuels such as plastic waste, rubber and sugar cane bagasse etc.

3. That the present matter was came up for hearing on 21.05.2025 and upon Considering the seriousness of the issue involved in the matter, this Hon'ble Tribunal has constituted a Joint Committee comprising of RO, MoEF&CC, Lucknow, Representative of the Member Secretary, CPCB, Member Secretary, UPPCB and District Magistrate, Kushinagar by appointing a District Magistrate, Kushinagar as a nodal agency.

4. That in compliance to the above direction the constituted joint committee has undertaken the site visit and carried out the inspection of the Brick Kilns in question during 23.06.2025 to 24.06.2025 and the joint committee report have been submitted by the District Magistrate, Kushinagar



Girijesh Kumar Gupta
NOTARY
GORAKHPUR

[Handwritten signature]

on 25.09.2025 before this Hon'ble Tribunal for consideration.

5. That upon considering the joint committee report this Hon'ble Tribunal vide its order dated 22.12.2025 was pleased to pass the following directions:

...7. It will be open to all other respondents also to file their response within 06 weeks.

8. Learned Counsel appearing for the UPPCB also submits that the action taken report will be filed by the UPPCB within 04 weeks...

6. That in compliance to the order dated 22.12.2025 passed by the Hon'ble Tribunal, the officials of the UPPCB have get inspected the Brick Kilns in question on 09.03.2026 and 10.03.2026 along with the district administration and police administration. During the course of inspection, out of 09 questioned Brick Kilns 02 Brick Kilns, i.e. Respondent Nos. 11 and 16, found closed and non-operational, rest 07 Brick Kilns found operational in violation of the closure order issued by the UPPCB, against whose an action has been taken by the UPPCB in joint collaboration with the district administration and police administration.



7. That the illegal operation of the all 07 Brick Kilns in violation of the closure order issued by the UPPCB has been stopped by the UPPCB with the help of the district administration and police administration with strict direction that in future brick kilns should not be operated without consent and no objection.

Girijesh Kumar Gupta
NOTARY
GORAKHPUR

8. That the status of the said brick kilns is as under:

S. No	Name & Address of Brick Kiln	Status of CTE	Status of CTO	Closure Order Issued by UPPCB	Inspection Date	Operation status on time of Inspection	Action Taken
1.	M/s. Janta Int Nirmata, Village Mahason, Post Karkhana Mahua, Tehsil-Kasia, District-Kushinagar.	No	No	15.07.2021 (closure order is annexed as Annexure 01)	09.03.2026	Operational	At the time of inspection operation of Brick kiln was forced to stop with the help of the fire department in the presence of the District administration and police administration. Spot Memo is Annexed as Annexure-02 . Photograph of the site is annexed as Annexure-03 .
2.	M/s. Anil Kumar Singh HUF, Vill. & Post - Deena Patti, Tehsil Kasia, District Kushinagar	No	No	16.07.2025 (closure order is annexed as Annexure-02)	09.03.2026	Operational	AT the time of inspection operation of Brick kiln was forced to stop with the help of the fire department in the



NOTARY
GORAKHPUR

(Handwritten Signature)

							presence of the district administration and police administration. Spot Memo is annexed as Annexure-05 . Photograph of the site is annexed as Annexure-06 .
3.	M/s. Radhey Krishna Enterprises, Vill. & Post Kudwa urf Dilip Nagar, tehsil Kasia, District Kushinagar	No	No	16.07.2025 (closure order is annexed as Annexure 07)	09.03.2026	Non-operational	The brick found closed/Non operational at the time of Inspection. Spot Memo is annexed as Annexure-08 . Photograph of the site is annexed as Annexure-09 .
4.	M/s. R K B Int Udyog, Vill & Post-Kudwa urf Dilip Nagar, Tehsil Kasia, District Kushinagar	No	No	16.07.2025 (closure order is annexed as Annexure-10)	09.03.2026	Operational	At the time of inspection operation of Brick kiln was forced to stop with the help of the fire department in the presence of the district administration



Girijesh Kumar Gupta
NOTARY
GORAKHPUR

(Handwritten Signature)

							on and police administration. Spot Memo is annexed as Annexure-11. Photograph of the site is annexed as Annexure-12.
5.	M/s. Barister Singh Int Udyog, Vill. & Post-Kudwa urf Dilip Nagar, Tehsil-Kasia, District Kushinagar	No	No	16.07.2025 (closure order is annexed as Annexure-13)	09.03.2026	Operational	At the time of inspection operation of Brick kiln was forced to stop with the help of the fire department in the presence of the district administration and police administration. Spot Memo is annexed as Annexure-14. Photograph of the site is annexed as Annexure-15.
6.	M/s. Jai Ambey Int	No	No	01.09.2025 (closure	10.03.2026	Operational	At the time of



Griyesh Kumar Gupta
NOTARY
GORAKHPUR

	Udyog, Village Gambhirpur , Post Singhari, Tehsil Kaptan Ganj, District Kushinagar			order is annexed as Annexure 16)			inspection operation of Brick kiln was forced to stop with the help of the fire department in the presence of the district administrati on and police administrati on. Spot Memo is annexed as Annexure- 17. Photograph of the site is annexed as Annexure- 18.
7.	M/s. Ravindra Pratap Singh BKO, Village Jolahpurwa, Post Barsaina, Tehsil Hata, District Kushinagar.	No	No	24.11.2025 (closureorde r is annexed Annexure- 19)	10.03.202 6	Not Operational	The Brick found closed/Non operational at the tiem of Inspection.; Spot memo is annexed as Annexure- 20. Photograph of the site is annexed as Annexure- 21.
8.	M/s. Shri Ram Singh	No	No	01.09.2025 (closure	09.03.202 6	Operational	At the time of



31.12.2025
NOTARY
GORAKHPUR

	HUF, VillaggeSin gaha, Post Kubersthan, Tehsil Kasia, District Kushinagar			order is annexed as Annexure- 22)			inspection operation of Brick kiln was forced to stop with the help of the fire department in the presence of the district administrati on and police administrati on Spot Memo is annexured as Annexure- 23. Photograph of the site is annexed as Annexure- 24
9.	M/s. Maa Vindhyavas ini Int Udyog, Village & Post Kudwa urf Dilip Nagar, Tehsil Kasia, District- Kushinagar	No	No	01.09.2025 (closure order is annexed as Annexure 25)	09.03.202 6	Operational	At the time of inspection operation of Brick kiln was forced to stop with the help of the fire department in the presence of the district administrati on and police administrati on. Spot Memo is annexed as



Sirjesh Kumar Gupta
NOTARY
GORAKHPUR

[Handwritten Signature]

							Annexure-26. Photograph of the site is annexed as Annexure-27.
--	--	--	--	--	--	--	---

9. That the brick kilns which have been found operational inspite of closure order, Environmental Compensation against the same has been calculated and annexed herewith and marked as Annexure-28.

10. That the present affidavit is being submitted before this Hon'ble Tribunal for kind perusal and consideration.



[Handwritten Signature]
DEPONENT

VERIFICATION:

Verified at Gorakhpur on this the 13 day 3 of 2026, 2026 that the contents of above affidavit are true and correct to my knowledge based on records and information received and believed to be true, no part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

462/26
Solely affirmed before me on 13-3-26
10:20 AM
Ashutosh Chauhan
no det. but who is identified by [Signature]
I have satisfied myself by examining the deponent that he/she understands the contents of this affidavit which has been read over and explained by me

[Handwritten Signature]
DEPONENT
Ashutosh Chauhan
Hedged before me at
13/3/26
RN-UP2989/88

[Handwritten Signature]
NOTARY
GORAKHPUR



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 63446 /सी-6/सा0-632/ईट भट्टा/बन्दी आदेश/कुशीनगर/2021

Date 15.07.2021

पंजीकृत

M/s Janta Int Udyog, Vill- Andhya, Post- Premwaliya, Tehsil- Kasia
जनपद-कुशीनगर

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गोरखपुर से प्राप्त सूचना के अनुसार जनपद कुशीनगर की सूची में आपके ईट भट्टों का नाम अंकित है, जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा। उद्योग द्वारा कच्चे माल के रूप में मिट्टी, पानी, कोयला का प्रयोग कर ईट के उत्पादन हेतु स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-21 में प्राविधानित है कि :-

..... 21. Restrictions on use of certain industrial plants.—

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant.....

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार जनपद कुशीनगर में राज्य बोर्ड की सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध ईट भट्टों की सूची में आपका ईट भट्टा भी सम्मिलित है। आपके ईट भट्टा उद्योग का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-21 का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपके ईट भट्टों के संचालन को तत्काल प्रभाव से रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपके ईट भट्टे के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा-31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्न बन्दी आदेश जारी किया जाता है:-

1. यह कि आपके ईट भट्टों के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपके ईट भट्टा को मिलने वाली खनन अनुज्ञा तथा लाइसेन्स को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

Rutyagi
मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त-6)

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, कुशीनगर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-7, उत्तर प्रदेश, शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या 303/81-7-2021-39(पर्या)/2014-टी00सी0-1 दिनांक 15.03.2021 तथा शासनादेश संख्या 582/81-7-2021-39(पर्या)/2014-टी00सी0-1 दिनांक 08.07.2021 के अनुपालन में संलग्न सूची में अंकित ईट भट्टों के विरुद्ध जारी बन्दी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु सम्बन्धित प्रशासनिक अधिकारियों, जिला पंचायत, खनन विभाग एवं अन्य सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, कुशीनगर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-7, उत्तर प्रदेश, शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या 303/81-7-2021-39(पर्या)/2014-टी00सी0-1 दिनांक 15.03.2021 तथा शासनादेश संख्या 582/81-7-2021-39(पर्या)/2014-टी00सी0-1 दिनांक 08.07.2021 के अनुपालन में संलग्न सूची में अंकित ईट भट्टों के विरुद्ध जारी बन्दी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु अग्रिम कार्यवाही करने का कष्ट करें।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गोरखपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि संलग्न सूची में अंकित ईट भट्टों के विरुद्ध जारी बन्दी आदेशों को तत्काल सम्बन्धित ईट भट्टों को प्राप्त कराये एवं अनुपालन सुनिश्चित कराकर अनुपालन आख्या अविलम्ब प्रेषित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त-6)

स्पॉट मेमो

कार्यवाही दिनांक: 09/03/2026

मेसर्स जमता ईट उद्योग प्रा. लि. महाराज पोरा-महुसवा कारखाना, तबकलया वृक्षीनगर को मा० एन०जी०टी० नई दिल्ली में योजित ओ०ए० सं०- 248/2025 अमित मद्धेशिया बनाम उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 22.12.2025 एवं उ०प्र० राज्य बोर्ड के बन्दी आदेश सं० 6244/1/सी०-6/ए०-632 ई०प्र०/वकी 31/5/7/21 के अनुपालन में आज दिनांक 09/03/26 को उक्त ईट भट्ठे का जिला प्रशासन/पुलिस टीम, खनन विभाग, जिला पंचायत एवं उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ संयुक्त निरीक्षण/सर्वेक्षण किया गया। निरीक्षण के समय ईट भट्ठा संचालित पाया गया। संदर्भित ईट भट्ठा उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से स्थापनार्थ/संचालनार्थ सहमति (जल/वायु) प्राप्त नहीं की गयी है। मौके पर ईट भट्ठे का संचालन कार्य बन्द कराया गया एवं उपस्थित ईट भट्ठा प्रतिनिधि श्री अजित मिश्रा को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से संचालनार्थ सहमति (जल/वायु) प्राप्त किये बिना भट्ठा संचालित न किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

ईट भट्ठा प्रतिनिधि
अजित मिश्रा
9/3/26

Abhuk
9/3/26
प्यान अधिकारी

2 Km
महाराज पोरा
9/03/2026
अमित मद्धेशिया


9/3/2026
L.A
UPPCB

Nitesh Kumar
09/03/2026
UPPCB




NTUG
09/3/26

Annexure-03

M/s Janta Int Nirmata, Vill-Mahason, Post-Karkhana Mahua, Tehsil-Kasia, Distt-Kushinagar.





उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संख्या संख्या 30284/वृत्त-6/ईट भट्टा-030/बन्दी आदेश/गोरखपुर/2025

दिनांक 16-7-25
पंजीकृत

मेसर्स अनिल कुमार सिंह एच0यू0एफ0. (पी0एच0एस0 मार्का) ग्राम व पोस्ट-दीनापट्टी, तहसील-कसया, जनपद-कुशीनगर। (मोबाइल नं0-9919122055)
यह कि मेसर्स अनिल कुमार सिंह एच0यू0एफ0. (पी0एच0एस0 मार्का) ग्राम व पोस्ट-दीनापट्टी, तहसील-कसया, जनपद-कुशीनगर जिले आगे उद्योग कहा जाएगा, कच्चे माल के रूप में बालू, मिट्टी एवं पानी का प्रयोग कर 20,000 ईट प्रतिदिन के उत्पादन किये जाने हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित है। वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण), अधिनियम 1981 की धारा 2 (ए) से अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि उद्योग को बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक सं0-एच09013/वृत्त-6/ईट भट्टा-838/का0ब0नो0/गोरखपुर/2025 दिनांक 04.04.2024 के द्वारा कारण बताओ नोटिस पंजीकृत डाक के माध्यम से प्रेषित किया गया था तथा साथ ही साथ क्षेत्रीय कार्यालय, गोरखपुर द्वारा भी उक्त कारण बताओ नोटिस की प्रति ईट भट्टे को दिनांक 06.04.2024 प्राप्त कर दिया गया था। किन्तु ईट भट्टे द्वारा कारण बताओ नोटिस के परिप्रेष्य में राज्य बोर्ड को कोई उत्तर/प्रत्यावादन उपलब्ध नहीं कराया गया है।

यह कि कारण बताओ नोटिस दिनांक 04.04.2024 के अनुक्रम में राज्य बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, गोरखपुर द्वारा ईट भट्टे का स्थलीय निरीक्षण दिनांक 23.06.2025 को किया गया तथा निरीक्षण के समय ईट भट्टा का संचालन कार्य बन्द पाया गया।

यह कि राज्य बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, गोरखपुर की उक्त आख्यानुसार ईट भट्टे का जिओ का-आर्डिनटस-26 730110 अक्षांश एवं 83.960480 देशान्तर है। ईट भट्टा स्थल के पूरव दिशा में लगभग 10 कि0मी0 की दूरी पर ग्राम-मैनपुर, अनुमानित आबादी लगभग 500 है। पश्चिम दिशा में लगभग 12 कि0मी0 की दूरी पर ग्राम-अभिनयकपुर, अनुमानित आबादी लगभग 3000 है, उत्तर दिशा में लगभग 900 मीटर की दूरी पर ग्राम-दीनापट्टी, अनुमानित आबादी लगभग 1500 है। दक्षिण दिशा में लगभग 15 कि0मी0 की दूरी पर ग्राम-वरवा जंगल अनुमानित आबादी 800 है, उत्तर-पूरव दिशा में लगभग 165 मीटर की दूरी पर मेसर्स दिनेश ईट भट्टा, ग्राम-दीनापट्टी तथा दक्षिण-पश्चिम दिशा में लगभग 370 मीटर की दूरी पर मेसर्स शक्ति ईट उद्योग, ग्राम-दीनापट्टी स्थित है। इस प्रकार ईट भट्टे का स्थल उ0प्र0 ईट भट्टा (स्थापना हेतु स्थल मापदण्ड) नियमावली, 2012 के अनुरूप नहीं है।

यह कि ईट भट्टे को राज्य बोर्ड से स्थापनार्थ एवं संचालन हेतु सहमति निर्गत नहीं किया गया है। बोर्ड से सहमति प्राप्त किये बिना ईट भट्टे की स्थापना किया जाना वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

यह कि उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में राज्य बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, गोरखपुर के पत्र दिनांक 07.07.2025 द्वारा कारण बताओ नोटिस की पुष्टि किये जाने की संस्तुति आख्या प्राप्त हुई है।

अतएव जन-स्वास्थ्य एवं व्यापक जन-हित में जन साधारण को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने के लिए आवश्यक है कि ईट भट्टे का संचालन को रोका जाये।

अत उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं राज्य बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी, गोरखपुर की संस्तुति के दृष्टिगत उद्योग मेसर्स अनिल कुमार सिंह, एच0यू0एफ0. (पी0एच0एस0 मार्का), ग्राम व पोस्ट-दीनापट्टी, तहसील-कसया, जनपद-कुशीनगर के विरुद्ध वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1981 (यथासंशोधित) की धारा-31 ए के अन्तर्गत निम्न बन्दी आदेश जारी किया जाता है।

- 1 यह कि मेसर्स अनिल कुमार सिंह, एच0यू0एफ0. (पी0एच0एस0 मार्का), ग्राम व पोस्ट-दीनापट्टी, तहसील-कसया, जनपद-कुशीनगर के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
- 2 यह कि सक्षम अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि आपके ईट भट्टे मेसर्स अनिल कुमार सिंह, एच0यू0एफ0. (पी0एच0एस0 मार्का), ग्राम व पोस्ट-दीनापट्टी, तहसील-कसया, जनपद-कुशीनगर की खनन अनुज्ञा एवं स्थानीय लाइसेंस को तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुए ईट भट्टे को मिलने वाली अन्य सुविधाओं को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दें।

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1 जिलाधिकारी, कुशीनगर।
- 2 पुलिस अधीक्षक, कुशीनगर।
- 3 अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, कुशीनगर।
- 4 जिला खनन अधिकारी, कुशीनगर।

5 क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गोरखपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर उद्योग को निर्गत बन्दी आदेश का 03 कार्यदिवस में अनुपालन सुनिश्चित कराते अनुपालन आख्या बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

पर्यावरण अभियन्ता,
प्रभारी, वृत्त-6

पर्यावरण अभियन्ता,
प्रभारी, वृत्त-6

T.C/12V, Vibhuti Khand Gontti Nagar, Lucknow - 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 - 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.com

स्पॉट मेमो

कार्यवाही दिनांक: ०९/०३/२०२६

मेसर्स अमित कुमार सिंह एच०यू०स्फ० (पी०एच०एल०) मार्का, बानाम व पोस्ट दीनापट्टी मैनापुर को मा० एन०जी०टी० नई दिल्ली में योजित ओ०ए० सं०- 248/2025 अमित मद्धेशिया त०-कलया, कुशीनगर बनाम उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 22.12.2025 एवं उ०प्र० राज्य बोर्ड के बन्दी आदेश एच०२३०२४५/वृत्त-6/सं०प्र०-४३४/बन्दीआदेश/२०/२०२५, 16/7/25 के अनुपालन में आज दिनांक ०९/०३/२६ को उक्त ईट भट्टे का जिला प्रशासन/पुलिस टीम, खनन विभाग, जिला पंचायत एवं उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ संयुक्त निरीक्षण/सर्वेक्षण किया गया। निरीक्षण के समय ईट भट्टा संचालित पाया गया। संदर्भित ईट भट्टा उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से स्थापनार्थ/संचालनार्थ सहमति (जल/वायु) प्राप्त नहीं की गयी है। मौके पर ईट भट्टे का संचालन कार्य बन्द कराया गया एवं उपस्थित ईट भट्टा प्रतिनिधि श्री अमित को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से संचालनार्थ सहमति (जल/वायु) प्राप्त किये बिना भट्टा संचालित न किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

ईट भट्टा प्रतिनिधि

Amit
१०/३/२६

Abhilash
०९/३/२६

मान्य अधिकारी

Dr. R. K. Singh
१०/३/२६
उपनिर्देशक

Dr. R. K. Singh
१०/३/२६
L.A
Dr. R. K. Singh
UPPCB GHP

Natish Kumar
JE
UPPCB

Manoj Kumar
२०/३/२६

Star
०९/३/२६
NPLM

Annexure-06

M/s Anil Kumar Singh HUF, Vill & Post- Deena Patti, Tehsil-Kasia, Distt- Kushinagar





GPS Map Camera

Monday, 09/03/2026 01:15 PM GMT +05:30
Lat 26.730151° Long 83.961161°
Pxjθ+mj3, Mainpur, Uttar Pradesh 274402, India
Mainpur, Uttar Pradesh, India





उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्या: 2025/2025-6/ईट भट्टा-841/का10ग0नी0/गोरखपुर/2025

दिनांक 16-7-25
पंजीकृत

मेसर्स राधे कृष्णा इण्टरप्राइजेज
ग्राम व पोस्ट-कुडवा उर्फ दिलीप नगर, तहसील-कसया, जनपद-कुशीनगर।
जनपद-कुशीनगर। (मोबाइल नं०-9070103555)

यह कि मेसर्स राधे कृष्णा इण्टरप्राइजेज, ग्राम व पोस्ट-कुडवा उर्फ दिलीप नगर, तहसील-कसया, जनपद-कुशीनगर जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, कार्बो गैस के रूप में वायु, मिट्टी एवं पानी का प्रयोग कर 20,000 ईट प्रतिदिन के उत्पादन किने जाने हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित है, वायु (प्रदूषण नियंत्रण एवं नियंत्रण), अधिनियम, 1981 की धारा 2 (द) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि उद्योग को बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक सं०-एच.09009/वृत्त-6/ईट भट्टा-841/का10ग0नी0/गोरखपुर/2025 दिनांक 04.04.2024 के द्वारा कारण बताओ नोटिस पंजीकृत डाक के माध्यम से प्रेषित किया गया था तथा साथ ही साथ क्षेत्रीय कार्यालय, गोरखपुर द्वारा भी उक्त कारण बताओ नोटिस की प्रति ईट भट्टे को दिनांक 06.04.2024 प्राप्त करा दिया गया था। किन्तु ईट भट्टे द्वारा कारण बताओ नोटिस के परिप्रेक्ष्य में राज्य बोर्ड को कोई उत्तर/प्रत्यवेदन उपलब्ध नहीं कराया गया है।

यह कि कारण बताओ नोटिस दिनांक 04.04.2024 के अनुक्रम में राज्य बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, गोरखपुर द्वारा ईट भट्टे का स्थलीय निरीक्षण दिनांक 23.06.2025 को किया गया तथा निरीक्षण के समय ईट भट्टा का संचालन कार्य बन्द पाया गया।

यह कि राज्य बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, गोरखपुर की उक्त आख्यानुसार ईट भट्टे का जिआं को-ऑर्डिनेट्स-26.699254 अक्षांश एवं 83.966612 देशान्तर है। ईट भट्टा स्थल के पूरव दिशा में लगभग 3.5 कि०मी० की दूरी पर ग्राम-हतया, अनुमानित आबादी लगभग 1000 है। पश्चिम दिशा में लगभग 1.9 कि०मी० की दूरी पर ग्राम-बेलवा पलकधारी स्थित है, अनुमानित आबादी लगभग 1500 है। उत्तर दिशा में लगभग 750 मीटर की दूरी पर ग्राम-कुडवा उर्फ दिलीप नगर अनुमानित आबादी लगभग 1500 है तथा दक्षिण दिशा में लगभग 270 मीटर की दूरी पर मेसर्स बैरिस्टर सिंह ईट उद्योग, ग्राम-कुडवा दिलीप नगर स्थित है। इस प्रकार ईट भट्टे का स्थल उ०प्र० ईट भट्टा (स्थापना हेतु स्थल मापदण्ड) नियमावली, 2012 के अनुरूप नहीं है।

यह कि ईट भट्टे को राज्य बोर्ड से स्थापनार्थ एवं संचालन हेतु सहमति निर्गत नहीं किया गया है। बोर्ड से सहमति प्राप्त किये बिना ईट भट्टे की स्थापना किया जाना वायु (प्रदूषण नियंत्रण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) के आज्ञाक प्रविधानों का उल्लंघन है।

यह कि उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में राज्य बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, गोरखपुर के पत्र दिनांक 07.07.2025 द्वारा कारण बताओ नोटिस की पुष्टि किये जाने की संस्तुति आख्या प्राप्त हुई है।

अतएव जन-स्वास्थ्य एवं व्यापक जन-हित में जन साधारण को स्पष्ट वातावरण प्रदान करने के लिए आवश्यक है कि ईट भट्टे के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं राज्य बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी, गोरखपुर की संस्तुति के दृष्टिगत उद्योग मंत्रसं राधे कृष्णा इण्टरप्राइजेज, ग्राम व पोस्ट-कुडवा उर्फ दिलीप नगर, तहसील-कसया, जनपद-कुशीनगर के विरुद्ध वायु (प्रदूषण नियंत्रण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 (यथासंशोधित) की धारा-3, 'ए' के अन्तर्गत निम्न बन्दी आदेश जारी किया जाता है।

1. यह कि मेसर्स राधे कृष्णा इण्टरप्राइजेज, ग्राम व पोस्ट-कुडवा उर्फ दिलीप नगर, तहसील-कसया, जनपद-कुशीनगर के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि आपके ईट भट्टे मेसर्स राधे कृष्णा इण्टरप्राइजेज, ग्राम व पोस्ट-कुडवा उर्फ दिलीप नगर, तहसील-कसया, जनपद-कुशीनगर की खनन अनुज्ञा एवं स्थानीय लाइसेन्स को तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुए ईट भट्टे को मिलने वाली अन्य सुविधाओं को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दें।

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. जिलाधिकारी, कुशीनगर।
2. पुलिस अधीक्षक, कुशीनगर।
3. अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, कुशीनगर।
4. जिला खनन अधिकारी, कुशीनगर।

5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गोरखपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि जिला प्रशासन से सम्बन्ध स्थापित कर उद्योग को निर्गत बन्दी आदेश का 03 कार्यदिवस में अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

पर्यावरण अभियन्ता,
प्रभारी, वृत्त-6

पर्यावरण अभियन्ता,
प्रभारी, वृत्त-6

स्पॉट मेमो


कार्यवाही दिनांक: ०९/०३/२६

मेसर्स राधे कृष्णा इन्टरप्राइजेज, शा. व. पो. - कुदवा उर्फ दिलीपनगर त. - कसया, कुशीनगर को मा० एन०जी०टी० नई दिल्ली में योजित ओ०ए० सं०- 248/2025 अमित मद्धेशिया बनाम उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 22.12.2025 एवं उ०प्र० राज्य बोर्ड के बन्दी आदेश रज्य०३०२१७/वृत्त-६/ई० प्र०-१५२/बन्दी आदेश/उ०प्र०/२०२५ 16/7/25 के अनुपालन में आज दिनांक ०९/०३/२६ को उक्त ईट भट्टे का जिला प्रशासन/पुलिस टीम, खनन विभाग, जिला पंचायत एवं उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ संयुक्त निरीक्षण/सर्वेक्षण किया गया। निरीक्षण के समय ईट भट्टा संचालित पाया गया। संदर्भित ईट भट्टा उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से स्थापनार्थ/संचालनार्थ सहमति (जल/वायु) प्राप्त नहीं की गयी है। मौके पर ईट भट्टे का संचालन कार्य बन्द कराया गया एवं उपस्थित ईट भट्टा प्रतिनिधि श्री काशीनाथ मौर्या को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से संचालनार्थ सहमति (जल/वायु) प्राप्त किये बिना भट्टा संचालित न किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

ईट भट्टा प्रतिनिधि
श्री रामप्रताप यादव

9/3/2026



9/3/2026
L.A
UPDCB GHP



9/3/26

जान अधिकारी

Nitesh kumar
09/03/2026
SE
UPDCB


niteshkumar@updc


9/03/2026


Ram Pratap Yadav


9/3/26
Nitesh

नोट: निरीक्षण के समय ईट भट्टा संचालित नहीं पाया गया।
बन्दी आदेश का कम्प्लायेंस होता पाया गया।

Annexure-09

M/s Radhey Krishna enterprises, Vill & Post- Kudwa urf Dilip Nagar, Tehsil-Kasia,
Distt- Kushinagar





GPS Map Camera

Kundwa Urf Dilipnagar, Uttar Pradesh,
India 🇮🇳

Kundwa Urf Dilipnagar, Uttar Pradesh, India, Kundwa Urf Dilipnagar,
Uttar Pradesh , India

Lat 26.696263° Long 83.950689°

Monday, 09/03/2026 02:28 PM GMT +05:30

Google



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्या/पृष्ठा-6/ ईट भट्टा-837/बन्दी आदेश/गोरखपुर/2025

दिनांक 16-7-25
पंजीकृत

मेसर्स आर०के०बी० ईट उद्योग (आर०के०बी०),
ग्राम व पोस्ट-कुडवा दिलीप नगर, तहसील-कसया,
जनपद-कुशीनगर। (मोबाइल नं०-6394530303)

यह कि मेसर्स आर०के०बी० ईट उद्योग (आर०के०बी०), ग्राम व पोस्ट-कुडवा दिलीप नगर, तहसील-कसया,
जनपद-कुशीनगर जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, कच्चे माल के रूप में माल, गिट्टी एवं पानी का प्रयोग कर 20,000 ईट
प्रतिदिन के उत्पादन किये जाने हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित है, वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981
की धारा 2 (र) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि उद्योग को बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक रा०-एच०९०००/पृष्ठा-6/ईट भट्टा-841/का०के०बी०
/गोरखपुर/2025 दिनांक 04.04.2024 के द्वारा कारण बताओ नोटिस पंजीकृत डाक के माध्यम से प्रेषित किया गया था तथा
साथ ही साथ क्षेत्रीय कार्यालय, गोरखपुर द्वारा भी उक्त कारण बताओ नोटिस की प्रति ईट भट्टे को दिनांक 08.04.2024 प्राप्त
करा दिया गया था। किन्तु ईट भट्टे द्वारा कारण बताओ नोटिस के परिप्रेक्ष्य में राज्य बोर्ड को कोई उत्तर/प्रत्यावेदन उपलब्ध
नहीं कराया गया है।

यह कि कारण बताओ नोटिस दिनांक 04.04.2024 के अनुक्रम में राज्य बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, गोरखपुर द्वारा ईट
भट्टे का स्थलीय निरीक्षण दिनांक 23.06.2025 को किया गया तथा निरीक्षण के समय ईट भट्टा का संचालन कार्य बन्द पाया
गया।

यह कि राज्य बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, गोरखपुर की उक्त आख्यानुसार ईट भट्टे का जिओ कां-आर्डिनट्स-26
822567 अक्षांश एच 83.024967 देशान्तर है। ईट भट्टा स्थल के पूरव दिशा में लगभग 1.2 कि०मी० की दूरी पर ग्राम-अलवा
पट्टी, अनुमानित आबादी लगभग 2000 है। पश्चिम दिशा में लगभग 3.0 कि०मी० की दूरी पर ग्राम-बेलवा स्थित है, अनुमानित
आबादी लगभग 800 है। उत्तर दिशा में लगभग 700 मीटर की दूरी पर जीत बहादुर टोला स्थित है, ग्राम-कुडवा उर्फ दिलीप
नगर अनुमानित आबादी लगभग 500 है तथा दक्षिण दिशा में लगभग 800 मीटर की दूरी पर ग्राम-सिसई, अनुमानित आबादी
500 स्थित है। इस प्रकार ईट भट्टे का स्थल उ०प्र० ईट भट्टा (स्थापना हेतु स्थल मापदण्ड) नियमावली, 2012 के अनुसूच
नहीं है।

यह कि ईट भट्टे को राज्य बोर्ड से स्थापनार्थ एवं संचालन हेतु सहमति निर्गत नहीं किया गया है। बोर्ड से सहमति
प्राप्त किये बिना ईट भट्टे की स्थापना किया जाना वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) के
आइएचएफ प्राविधानों का उल्लंघन है।

यह कि उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में राज्य बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, गोरखपुर के पत्र दिनांक 07.07
2025 द्वारा कारण बताओ नोटिस की पुष्टि किये जाने की संस्तुति आख्या प्राप्त हुई है।

अतएव जन-स्वास्थ्य एवं व्यापक जन-हित में जन साधारण को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने के लिए आवश्यक है कि
ईट भट्टे के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं राज्य बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी, गोरखपुर की संस्तुति के दृष्टिगत उद्योग मेसर्स
आर०के०बी० ईट उद्योग (आर०के०बी०), ग्राम व पोस्ट-कुडवा दिलीप नगर, तहसील-कसया, जनपद-कुशीनगर के विरुद्ध वायु
(प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 (यथासंशोधित) की धारा-31 ए के अन्तर्गत निम्न सूची आदेश जारी किया
जाता है।

- 1 यह कि मेसर्स आर०के०बी० ईट उद्योग (आर०के०बी०), ग्राम व पोस्ट-कुडवा दिलीप नगर, तहसील-कसया,
जनपद-कुशीनगर के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
- 2 यह कि सक्षम अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि आपके ईट भट्टे मेसर्स आर०के०बी० ईट उद्योग (आर०के०बी०), ग्राम व
पोस्ट-कुडवा दिलीप नगर, तहसील-कसया, जनपद-कुशीनगर की खनन अनुज्ञा एवं स्थानीय लाइसेंस को तत्काल प्रभाव
से निरस्त करते हुए ईट भट्टे को मिलने वाली अन्य सुविधाओं को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दें।

प्रतिनिधि :- निम्नांकित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1 जिलाधिकारी, कुशीनगर।
- 2 पुलिस अधीक्षक, कुशीनगर।
- 3 अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, कुशीनगर।
- 4 जिला खनन अधिकारी, कुशीनगर।
- 5 क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गोरखपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि जिला प्रशासन से समन्वय
स्थापित कर उद्योग को निर्गत बन्दी आदेश का 03 कार्यदिवस में अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या बोर्ड
मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

पर्यावरण अभियन्ता,
प्रभारी, पृष्ठा-6

पर्यावरण अभियन्ता,
प्रभारी, पृष्ठा-6

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow - 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 - 2720764
Email: info@unpcb.in - Web Site: www.unpcb.com

स्पॉट मेमो

कार्यवाही दिनांक: 09/03/2026

मेसर्स ...आर.के.बी.ईट उद्योग (आ.के.बी.) प्रा. ल. - कुडा, उर्फ दिल्ली नगर
 त. कल्याण, कुरीनग को मा० एन०जी०टी० नई दिल्ली में योजित ओ०ए० सं०- 248/2025 अमित मद्धेशिया
 बनाम उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 22.12.2025 एवं उ०प्र० राज्य बोर्ड
 के बन्दी आदेश एच०३०२४५/वृत्त-६/ई०५०-४३७/बन्दी आदेश/गी०/२०२५, 1.6/7/25 के
 अनुपालन में आज दिनांक 09/03/26 को उक्त ईट भट्टे का जिला प्रशासन/पुलिस टीम, खनन
 विभाग, जिला पंचायत एवं उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ संयुक्त निरीक्षण/सर्वेक्षण किया गया।
 निरीक्षण के समय ईट भट्टा संचालित पाया गया। संदर्भित ईट भट्टा उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से
 स्थापनार्थ/संचालनार्थ सहमति (जल/वायु) प्राप्त नहीं की गयी है। मौके पर ईट भट्टे का संचालन
 कार्य बन्द कराया गया एवं उपस्थित ईट भट्टा प्रतिनिधि श्री विनय सिंह को उ०प्र०
 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से संचालनार्थ सहमति (जल/वायु) प्राप्त किये बिना भट्टा संचालित न किये जाने
 हेतु निर्देशित किया गया।

ईट भट्टा प्रतिनिधि
 विनय सिंह
 09.03.26

Abhilash
 9/3/26
 खान अधिकारी

09/03/2026
 L.P.
 UPPCB GKP

Netish kumar
 09/03/2026
 JE
 UPPCB

नन्दकुमार

dfm: गुणगुण नन्दकुमार
 9/03/2026
 आर.के.बी.ईट उद्योग

A
 9/3/26
 NTG

Annexure-12

M/s R K B Int Udyog, Vill & Post- Kudwa urf Dilip Nagar, Tehsil-Kasia, Distt- Kushinagar







उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्या
संज्ञा में

30/206

वृत्त-6/ ईट भट्टा-841/बन्दी आदेश/गोरखपुर/2025

दिनांक 16-7-25
पंजीकृत

मेसर्स वैरिस्टर सिंह ईट उद्योग,
ग्राम-कुडवा उर्फ दिलीप नगर, पोस्ट-कुडवा,
जनपद-कुशीनगर। (भोवाइल नं०-6392710021)

यह कि मेसर्स वैरिस्टर सिंह ईट उद्योग, ग्राम-कुडवा उर्फ दिलीप नगर, पोस्ट-कुडवा, जनपद-कुशीनगर जिले
आगे उद्योग कहा जायेगा, कच्चे माल के रूप में बालू, मिट्टी एवं पानी का प्रयोग कर 20,000 ईट प्रतिदिन के उत्पादन
किन्ने जाने हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित है। वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण), अधिनियम, 1981 की धारा 2 (द)
के अंतर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि उद्योग को बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक सं०-एच.09010/वृत्त-6/ईट भट्टा-841/कत030नं०
/गोरखपुर/2025 दिनांक 04.04.2024 के द्वारा कारण बताओ नोटिस पंजीकृत डाक के माध्यम से प्रेषित किया गया था
तथा साथ ही साथ क्षेत्रीय कार्यालय, गोरखपुर द्वारा भी उक्त कारण बताओ नोटिस की प्रति ईट भट्टे को दिनांक 06.04.
2024 प्राप्त करा दिया गया था। किन्तु ईट भट्टे द्वारा कारण बताओ नोटिस के परिप्रेक्ष्य में राज्य बोर्ड को कोई
उत्तर/प्रत्यावेदन उपलब्ध नहीं कराया गया है।

यह कि कारण बताओ नोटिस दिनांक 04.04.2024 के अनुक्रम में राज्य बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, गोरखपुर द्वारा
ईट भट्टे का स्थलीय निरीक्षण दिनांक 23.06.2025 को किया गया तथा निरीक्षण के समय ईट भट्टा का संचालन कार्य
बन्द पाया गया।

यह कि राज्य बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, गोरखपुर की उक्त आख्यानुसार ईट भट्टे का जिओ कां-आर्डिनेट्स-26.
696759 अक्षांश एव 83.936046 देशान्तर है। ईट भट्टा स्थल के पूरव दिशा में लगभग 3.0 कि०मी० की दूरी पर
ग्राम-पूरना, अनुमानित आबादी लगभग 1500 है। पश्चिम दिशा में लगभग 1.0 कि०मी० की दूरी पर ग्राम-बटेंसरा,
अनुमानित आबादी लगभग 800 है। उत्तर दिशा में लगभग 700 मीटर की दूरी पर ग्राम-गुरमिया अनुमानित आबादी
लगभग 500 है तथा उत्तर दिशा में ही लगभग 270 मीटर की दूरी पर मेसर्स राधे कृष्णा इण्टरप्राइजेज ईट भट्टा तथा
दक्षिण दिशा में लगभग 280 मी० की दूरी पर मेसर्स जय मों विन्ध्यवासिनी ईट उद्योग, ग्राम-कुडवा दिलीप नगर स्थित है।
इस प्रकार ईट भट्टे का स्थल उ०प्र० ईट भट्टा (स्थापना हेतु स्थल मापदण्ड) नियमावली, 2012 के अनुत्प नहीं है।

यह कि ईट भट्टे को राज्य बोर्ड से स्थापना एवं संचालन हेतु सहमति निर्गत नहीं किया गया है। बोर्ड से
सहमति प्राप्त किये बिना ईट भट्टे की स्थापना किया जाना वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981
(यथासंशोधित) के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

यह कि उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में राज्य बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, गोरखपुर के पत्र दिनांक 07.07.
2025 द्वारा कारण बताओ नोटिस की पुष्टि किये जाने की संस्तुति आख्या प्राप्त हुई है।

अतएव जन-स्वास्थ्य एवं व्यापक जन-हित में जन साधारण को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने के लिए आवश्यक
है कि ईट भट्टे के संचालन को रोका जाये।

अत उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं राज्य बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी, गोरखपुर की संस्तुति के दृष्टिगत उद्योग मेसर्स
वैरिस्टर सिंह ईट उद्योग, ग्राम-कुडवा उर्फ दिलीप नगर, पोस्ट-कुडवा, जनपद-कुशीनगर के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण
तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 (यथासंशोधित) की धारा-31 ए के अन्तर्गत निम्न बन्दी आदेश जारी किया जाता है।

1. यह कि मेसर्स वैरिस्टर सिंह ईट उद्योग, ग्राम-कुडवा उर्फ दिलीप नगर, पोस्ट-कुडवा, जनपद-कुशीनगर के संचालन
को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि आपके ईट भट्टे मेसर्स वैरिस्टर सिंह ईट उद्योग, ग्राम-कुडवा
उर्फ दिलीप नगर, पोस्ट-कुडवा, जनपद-कुशीनगर की खनन अनुज्ञा एवं स्थानीय लाइसेंस को तत्काल प्रभाव से
निरस्त करके हुए ईट भट्टे को मिलने वाली अन्य सुविधाओं को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दे।

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. जिलाधिकारी, कुशीनगर।
2. पुलिस अधीक्षक, कुशीनगर।
3. अपर मुख्य अधिकारी, जिला प्रशासन, कुशीनगर।
4. जिला खनन अधिकारी, कुशीनगर।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गोरखपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि जिला प्रशासन से समन्वय
स्थापित कर उद्योग को निर्गत बन्दी आदेश का 03 कार्यदिवस में अनुपालन सुनिश्चित कराए अनुपालन आख्या
काई मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित कर।

पर्यावरण अभियन्ता,
प्रभारी, वृत्त-6

पर्यावरण अभियन्ता,
प्रभारी, वृत्त-6

14/12N, Vibhuti Khand Gantl Nagar, Lucknow - 226010
Phone: 2720851, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 - 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.com

स्पॉट मेमो

कार्यवाही दिनांक: 09/03/26

मेसर्स बैरिस्टर सिंहर इंटर प्रोपर्टी डेवलपर्स प्रा. लि. को मा० एन०जी०टी० नई दिल्ली में योजित ओ०ए० सं०- 248/2025 अमित मद्देशिया कसया, बुशी नगर को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 22.12.2025 एवं उ०प्र० राज्य बोर्ड के बन्दी आदेश सं० 30286/वृत्त-6/ई०प्र०-841/बन्दी आदेश/गो०/2025, 16/7/25 के अनुपालन में आज दिनांक 09/03/26 को उक्त ईट भट्ठे का जिला प्रशासन/पुलिस टीम, खनन विभाग, जिला पंचायत एवं उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ संयुक्त निरीक्षण/सर्वेक्षण किया गया। निरीक्षण के समय ईट भट्ठा संचालित पाया गया। संदर्भित ईट भट्ठा उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से स्थापनार्थ/संचालनार्थ सहमति (जल/वायु) प्राप्त नहीं की गयी है। मौके पर ईट भट्ठे का संचालन कार्य बन्द कराया गया एवं उपस्थित ईट भट्ठा प्रतिनिधि श्री बैरिस्टर सिंहर को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से संचालनार्थ सहमति (जल/वायु) प्राप्त किये बिना भट्ठा संचालित न किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

ईट भट्ठा प्रतिनिधि
अमित मद्देशिया
 9-3-2026

Abhishek
 9/3/26
 ध्यान अधिकारी

अमित मद्देशिया
 9/3/2026
 उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

अमित मद्देशिया
 9/3/2026
 L.A
 UPPCB GKP

Nidish kumar
 09/03/2026
 JE
 UPPCB

A
 9/3/26
 MUG

M/s Barister Singh Int Udyog, Vill & Post- Kudwa urf Dilip Nagar, Tehsil-Kasia, Distt-Kushinagar





उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD
T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow - 226010
Phone: 2720831, 2720828 Fax: 0522 - 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

संदर्भ संख्या.....वृत्त-6/ईट भट्टा-868/बन्दी आदेश/गोरखपुर/2025 दि०...०१/०९/२५

सेवा में,

पंजीकृत

मेसर्स जय अम्बे ईट उद्योग,
ग्राम-गम्भीरपुर, पोस्ट-सिंघारी, तहसील-कप्तानगंज,
जनपद-कुशीनगर (मो०-7080030492)

यह कि मेसर्स जय अम्बे ईट उद्योग, ग्राम-गम्भीरपुर, पोस्ट-सिंघारी, तहसील-कप्तानगंज, जनपद-कुशीनगर जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, कच्चे माल के रूप में बालू, मिट्टी एवं पानी का प्रयोग कर 20,000 ईट प्रतिदिन के उत्पादन किये जाने हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित है, वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण), अधिनियम, 1981 की धारा 2 (ट) के अंतर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि उद्योग को बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक सं०-एच.30910/वृत्त-6/ईट भट्टा-868/का०ब०नो०/गोरखपुर /2025 दिनांक 31.07.2025 द्वारा कारण बताओ नोटिस पंजीकृत डाक के माध्यम से प्रेषित किया गया था तथा साथ ही साथ क्षेत्रीय कार्यालय, गोरखपुर द्वारा भी उक्त कारण बताओ नोटिस की प्रति ईट भट्टे को दिनांक 02.08.2025 को प्राप्त करा दिया गया था। किन्तु ईट भट्टे द्वारा कारण बताओ नोटिस के परिप्रेक्ष्य में राज्य बोर्ड को कोई उत्तर/प्रत्यावेदन उपलब्ध नहीं कराया गया है।

यह कि कारण बताओ नोटिस दिनांक 31.07.2025 के अनुक्रम में राज्य बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, गोरखपुर द्वारा ईट भट्टे का स्थलीय निरीक्षण दिनांक 18.08.2025 को किया गया तथा निरीक्षण के समय ईट भट्टा का संचालन कार्य बन्द पाया गया।

यह कि राज्य बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, गोरखपुर की उक्त आख्यानुसार ईट भट्टे का जिओ को-आर्डिनेट्स-26.8625840 अक्षांश एवं 83.7120002 देशान्तर है। ईट भट्टा स्थल के पूरब दिशा में लगभग 650 मीटर की दूरी पर ग्राम खैरटवा, अनुमानित आबादी लगभग 600 स्थित है। पश्चिम दिशा में लगभग 690 मीटर की दूरी पर सियाराम दास इण्टर कालेज स्थित है। उत्तर दिशा में लगभग 900 मीटर की दूरी पर ग्राम खभराभार अनुमानित आबादी लगभग 600 स्थित है। दक्षिण दिशा में लगभग 150 मीटर की दूरी पर ग्राम - गम्भीरपुर, अनुमानित आबादी लगभग 500 स्थित है। उक्त से स्पष्ट है कि ईट भट्टे का स्थल उ०प्र० ईट भट्टा (स्थापना हेतु स्थल मापदण्ड) नियमावली, 2012 के अनुरूप नहीं है।

यह कि ईट भट्टे को राज्य बोर्ड से स्थापनार्थ एवं संचालन हेतु सहमति निर्गत नहीं किया गया है। बोर्ड से सहमति प्राप्त किये बिना ईट भट्टे की स्थापना किया जाना वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

यह कि उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में राज्य बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, गोरखपुर के पत्र दिनांक 20.08.2025 द्वारा कारण बताओ नोटिस की पुष्टि करते हुए बन्दी आदेश जारी किये जाने की संस्तुति आख्या प्राप्त हुई है।

अतएव जन-स्वास्थ्य एवं व्यापक जन-हित में जन साधारण को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने के लिए आवश्यक है कि ईट भट्टे के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं राज्य बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी, गोरखपुर की संस्तुति के दृष्टिगत उद्योग मेसर्स जय अम्बे ईट उद्योग, ग्राम-गम्भीरपुर, पोस्ट-सिंघारी, तहसील-कप्तानगंज, जनपद-कुशीनगर के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 (यथासंशोधित) की धारा-31 ए के अन्तर्गत निम्न बन्दी आदेश जारी किया जाता है।

1. यह कि मेसर्स जय अम्बे ईट उद्योग, ग्राम-गम्भीरपुर, पोस्ट-सिंघारी, तहसील-कप्तानगंज, जनपद-कुशीनगर के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि आपके ईट भट्टे मेसर्स जय अम्बे ईट उद्योग, ग्राम-गम्भीरपुर, पोस्ट-सिंघारी, तहसील-कप्तानगंज, जनपद-कुशीनगर की खनन अनुज्ञा एवं स्थानीय लाइसेन्स को तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुए ईट भट्टे के मिलने वाली अन्य सुविधाओं को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दें।

Digitally signed by
Radhey Shyam

Date: 29-08-2025
पर्यावरण अभियन्ता,
16:21:27
प्रभारी, वृत्त-6

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. जिलाधिकारी, कुशीनगर।
2. पुलिस अधीक्षक, कुशीनगर।
3. अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, कुशीनगर।
4. खनन अधिकारी, कुशीनगर।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गोरखपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर उद्योग को निर्गत बन्दी आदेश का 03 कार्यदिवस में अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करे।

१८

स्पॉट मेमो

कार्यवाही दिनांक: 10/03/26

मेसर्स जय अम्बे ईट उपयोग, भा.ग. - गम्भीरपुर, पो. - सिंघाड़ी त. - कप्तानगंज कुशीनगर को मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0- 248/2025 अमित मद्धेशिया बनाम उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 22.12.2025 एवं उ0प्र0 राज्य बोर्ड के बन्दी आदेश संख्या: 32150/प्र.6/ई0प्र0-868/बन्दी आदेश/गो.2025, 01/09/25 के अनुपालन में आज दिनांक 10/03/26 को उक्त ईट भट्ठे का जिला प्रशासन/पुलिस टीम, खनन विभाग, जिला पंचायत एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ संयुक्त निरीक्षण/सर्वेक्षण किया गया। निरीक्षण के समय ईट भट्ठा संचालित पाया गया। संदर्भित ईट भट्ठा उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से स्थापनार्थ/संचालनार्थ सहमति (जल/वायु) प्राप्त नहीं की गयी है। मौके पर ईट भट्ठे का संचालन कार्य बन्द कराया गया एवं उपस्थित ईट भट्ठा प्रतिनिधि श्री रणधीर शर्मा को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से संचालनार्थ सहमति (जल/वायु) प्राप्त किये बिना भट्ठा संचालित न किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

ईट भट्ठा प्रतिनिधि
रणधीर शर्मा
10/3/26

10-3-26
अजय कुमार सिंह
कर अधिकारी
जि० प्र० कुशीनगर

10-3-26
अनवधेश राय
राज्य निरीक्षक
जिला पंचायत कुशीनगर

10/03/2026
L.A
UPPCB

Abhinav
10/3/26
प्लान अधिकारी
Nitesh Kumar
10/03/2026
JE, UPPCB

M/s Jai Ambey Int Udyog, Vill-Gambhirpur, Post-Singhari, Tehsil-Kaptan Ganj, Distt-Kushinagar





उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD
 T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow - 226010
 Phone: 2720831, 2720828 Fax: 0522 - 2720764
 Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

संदर्भ संख्या H/352/S...वृत्त-6/ईट भट्टा-867/बन्दी आदेश/गोरखपुर/2025 दिनांक 24/11/25-

सेवा में,

पंजीकृत

मेसर्स राविन्द्र प्रताप सिंह बी०के०ओ०,
 ग्राम-जोलहपुरवा, पोस्ट-बरसैना, तहसील-हाटा,
 जनपद-कुशीनगर। (मो०-7985161035)

यह कि मेसर्स राविन्द्र प्रताप सिंह बी०के०ओ०, ग्राम-जोलहपुरवा, पोस्ट-बरसैना, तहसील-हाटा, जनपद-कुशीनगर जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, कच्चे माल के रूप में बालू, मिट्टी एवं पानी का प्रयोग कर 20,000 ईट प्रतिदिन के उत्पादन किये जाने हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित है, वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण), अधिनियम, 1981 की धारा 2 (ट) के अंतर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि उद्योग को बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक सं०-एच.30909/वृत्त-6/ईट भट्टा-867/का०ब०नो०/गोरखपुर /2025 दिनांक 31.07.2025 द्वारा कारण बताओ नोटिस पंजीकृत डाक के माध्यम से प्रेषित किया गया था तथा साथ ही साथ क्षेत्रीय कार्यालय, गोरखपुर द्वारा भी उक्त कारण बताओ नोटिस की प्रति ईट भट्टे स्वामी को दिनांक 02.08.2025 को प्राप्त करा दिया गया था। किन्तु ईट भट्टे द्वारा कारण बताओ नोटिस के परिप्रेक्ष्य में राज्य बोर्ड को कोई उत्तर/प्रत्यावेदन उपलब्ध नहीं कराया गया है।

यह कि कारण बताओ नोटिस दिनांक 31.07.2025 के अनुक्रम में राज्य बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, गोरखपुर द्वारा ईट भट्टे का स्थलीय निरीक्षण दिनांक 18.08.2025 एवं पुनः दिनांक 23.09.2025 को किया गया तथा निरीक्षण के समय ईट भट्टा का संचालन कार्य बन्द पाया गया।

यह कि राज्य बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, गोरखपुर की उक्त आख्यानुसार ईट भट्टे का जिओ को-आर्डिनेट्स-26.790004 अक्षांश एवं 83.632318 देशान्तर है। ईट भट्टा स्थल के पूरब दिशा में लगभग 1.0 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम- महूलनिया, अनुमानित आबादी लगभग 450 स्थित है। पश्चिम दिशा में लगभग 250 मीटर की दूरी पर ग्राम जोलहापुरवा अनुमानित आबादी 400 स्थित है। उत्तर दिशा में लगभग 700 मीटर की दूरी पर ग्राम बेलवाखुर्द अनुमानित आबादी लगभग 600 स्थित है। दक्षिण दिशा में लगभग 1.2 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम, गोपाला अनुमानित आबादी लगभग 1500 स्थित है। उक्त से स्पष्ट है कि ईट भट्टे का स्थल उ०प्र० ईट भट्टा (स्थापना हेतु स्थल मापदण्ड) नियमावली, 2012 के अनुरूप नहीं है।

यह कि ईट भट्टे को राज्य बोर्ड से स्थापनार्थ एवं संचालन हेतु सहमति निर्गत नहीं किया गया है। बोर्ड से सहमति प्राप्त किये बिना ईट भट्टे की स्थापना किया जाना वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

यह कि उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में राज्य बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, गोरखपुर के पत्र दिनांक 20.08.2025 द्वारा कारण बताओ नोटिस की पुष्टि करते हुए बन्दी

आदेश जारी किये जाने का सस्तात आख्या प्राप्त हुई है।

अतएव जन-स्वास्थ्य एवं व्यापक जन-हित में जन साधारण को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने के लिए आवश्यक है कि ईट भट्टे के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं राज्य बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी, गोरखपुर की संस्तुति के दृष्टिगत उद्योग मेसर्स राविन्द्र प्रताप सिंह बी०के०ओ०, ग्राम-जोलहपुरवा, पोस्ट-बरसैना, तहसील-हाटा, जनपद-कुशीनगर के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 (यथासंशोधित) की धारा-31 ए के अन्तर्गत निम्न बन्दी आदेश जारी किया जाता है-

1. यह कि मेसर्स राविन्द्र प्रताप सिंह बी०के०ओ०, ग्राम-जोलहपुरवा, पोस्ट-बरसैना, तहसील-हाटा, जनपद-कुशीनगर के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि आपके ईट भट्टे मेसर्स राविन्द्र प्रताप सिंह बी०के०ओ०, ग्राम-जोलहपुरवा, पोस्ट-बरसैना, तहसील-हाटा, जनपद-कुशीनगर की खनन अनुज्ञा एवं स्थानीय लाइसेन्स को तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुए ईट भट्टे को मिलने वाली अन्य सुविधाओं को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दें।

Digitally signed by
Radhey Shyam
Date: 21-11-2025
प्रभाषिणी अभियन्ता,
प्रभारी, वृत्त-6

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. जिलाधिकारी, कुशीनगर।
2. पुलिस अधीक्षक, कुशीनगर।
3. अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, कुशीनगर।
4. जिला खनन अधिकारी, कुशीनगर।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गोरखपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर उद्योग को निर्गत बन्दी आदेश का 03 कार्यदिवस में अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करे।

स्पॉट मेमो

कार्यवाही दिनांक: 10/03/26


मेसर्स रविन्द्र प्रताप सिंह बी०के०ओ०, 210 - जोरहापुरवा, पो० - बरसैना
 तब-एटा, कुशीनगर को मा० एन०जी०टी० नई दिल्ली में योजित ओ०ए० सं०- 248/2025 अमित मद्धेशिया
 बनाम उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 22.12.2025 एवं उ०प्र० राज्य बोर्ड
 के बन्दी आदेश स्प० 3.5.019/वृत्त-6/सं० प्र०-867/बन्दी आदेश/ओ०/2025 25/11/25 के
 अनुपालन में आज दिनांक 10/03/26 को उक्त ईट भट्ठे का जिला प्रशासन/पुलिस टीम, खनन
 विभाग, जिला पंचायत एवं उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ संयुक्त निरीक्षण/सर्वेक्षण किया गया।
 निरीक्षण के समय ईट भट्ठा संचालित पाया गया। संदर्भित ईट भट्ठा उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से
 स्थापनार्थ/संचालनार्थ सहमति (जल/वायु) प्राप्त नहीं की गयी है। मौके पर ईट भट्ठे का संचालन
 कार्य बन्द कराया गया एवं उपस्थित ईट भट्ठा प्रतिनिधि श्री राधेश्याम को उ०प्र०
 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से संचालनार्थ सहमति (जल/वायु) प्राप्त किये बिना भट्ठा संचालित न किये जाने
 हेतु निर्देशित किया गया।


ईट भट्ठा प्रतिनिधि


राधेश्याम

10/03/26


 10/03/2026
 L.A
 UPPCB


 10-03-26
 अक्षय कुमार सिंह
 कर अधिकारी
 जिला पंचायत कुशीनगर



 10/03/26
 ज्ञान अधिकारी


 10-03-26
 अक्षय कुमार सिंह
 जिला पंचायत कुशीनगर

Nitish Kumar
 10/03/2026
 JE, UPPCB

नोट:- निरीक्षण के समय उक्त ईट भट्ठा संचालित नहीं पाया गया।
 बन्दी आदेश का कम्प्लायन्स होना पाया गया।

M/s Ravindra Pratap Singh BKO, Vill-Jolahpurwa, Post-Barsaina, Tehsil- Hata, Distt- Kushinagar





उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
 UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD
 T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow -226010
 Phone: 2720831, 2720828 Fax: 0522 - 2720764
 Email: info@uppcb.in • Web Site: www.uppcb.in

संदर्भ संख्या... 13219 वृत्त-6/ईट भट्टा-865/बन्दी आदेश/15
 दिनांक.....

01/09/25

सेवा में,

पंजीकृत

मेसर्स श्री राम सिंह एच०यू०एफ०,
 ग्राम सिंगहा, पो०-कुबेरस्थान, तहसील-कसया,
 जनपद-कुशीनगर (मो०-7408361518)

यह कि मेसर्स श्री राम सिंह एच०यू०एफ०, ग्राम सिंगहा, पो०-कुबेरस्थान, तहसील-कसया, जनपद-कुशीनगर जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, कच्चे माल के रूप में बालू, मिट्टी एवं पानी का प्रयोग कर 30,000 ईट प्रतिदिन के उत्पादन किये जाने हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित है, वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण), अधिनियम, 1981 की धारा 2 (ट) के अंतर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि उद्योग को बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक सं०-एच.30908/वृत्त-6/ईट भट्टा-865/का०ब०नो०/गोरखपुर /2025 दिनांक 31.07.2025 के द्वारा कारण बताओ नोटिस पंजीकृत डाक के माध्यम से प्रेषित किया गया था तथा साथ ही साथ क्षेत्रीय कार्यालय, गोरखपुर द्वारा भी उक्त कारण बताओ नोटिस की प्रति ईट भट्टे को दिनांक 02.08.2024 को प्राप्त करा दिया गया था। किन्तु ईट भट्टे द्वारा कारण बताओ नोटिस के परिप्रेक्ष्य में राज्य बोर्ड को कोई उत्तर/प्रत्यावेदन उपलब्ध नहीं कराया गया है।

यह कि कारण बताओ नोटिस दिनांक 31.07.2025 के अनुक्रम में राज्य बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, गोरखपुर द्वारा ईट भट्टे का स्थलीय निरीक्षण दिनांक 19.08.2025 को किया गया तथा निरीक्षण के समय ईट भट्टा का संचालन कार्य बन्द पाया गया।

यह कि राज्य बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, गोरखपुर की उक्त आख्यानुसार ईट भट्टे का जिओ को-आर्डिनेट्स-27.071399 अक्षांश एवं 83.79246 देशान्तर है। ईट भट्टा स्थल के पूरब दिशा में लगभग 1.1 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम अमवा बुजुर्ग, अनुमानित आबादी लगभग 700 स्थित है। पश्चिम दिशा में लगभग 800 मीटर की दूरी पर ग्राम विशुनपुर भटवलिया अनुमानित आबादी 1200 स्थित है। उत्तर दिशा में लगभग 850 मीटर की दूरी पर ग्राम बतरौली बाजार अनुमानित आबादी लगभग 1000 स्थित है। दक्षिण दिशा में लगभग 900 मीटर की दूरी पर ग्राम जमुनिया, अनुमानित आबादी लगभग 500 स्थित है। उक्त से स्पष्ट है कि ईट भट्टे का स्थल उ०प्र० ईट भट्टा (स्थापना हेतु स्थल मापदण्ड) नियमावली, 2012 के अनुरूप नहीं है।

यह कि ईट भट्टे को राज्य बोर्ड से स्थापनार्थ एवं संचालन हेतु सहमति निर्गत नहीं किया गया है। बोर्ड से सहमति प्राप्त किये बिना ईट भट्टे की स्थापना किया जाना वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

यह कि उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में राज्य बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, गोरखपुर के पत्र दिनांक 20.08.2025 द्वारा कारण बताओ नोटिस की पुष्टि करते हुए बन्दी आदेश जारी किये

जान की संस्तुति आख्या प्राप्त हुई है।

अतएव जन-स्वास्थ्य एवं व्यापक जन-हित में जन साधारण को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने के लिए आवश्यक है कि ईट भट्टे के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं राज्य बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी, गोरखपुर की संस्तुति के दृष्टिगत उद्योग मेसर्स श्री राम सिंह एच०यू०एफ०, ग्राम सिंगहा, पो०-कुबेरस्थान, तहसील-कसया, जनपद-कुशीनगर के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 (यथासंशोधित) की धारा-31 ए के अन्तर्गत निम्न बन्दी आदेश जारी किया जाता है-

1. यह कि मेसर्स श्री राम सिंह एच०यू०एफ०, ग्राम सिंगहा, पो०-कुबेरस्थान, तहसील-कसया, जनपद-कुशीनगर के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि आपके ईट भट्टे मेसर्स श्री राम सिंह एच०यू०एफ०, ग्राम सिंगहा, पो०-कुबेरस्थान, तहसील-कसया, जनपद-कुशीनगर की खनन अनुज्ञा एवं स्थानीय लाइसेन्स को तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुए ईट भट्टे को मिलने वाली अन्य सुविधाओं को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दें।

Digitally signed by
Radhey Shyam
Date: 29-08-2025
प्रशासनिक अभियन्ता,
प्रमारी, वृत्त-6

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित: -

1. जिलाधिकारी, कुशीनगर।
2. पुलिस अधीक्षक, कुशीनगर।
3. अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, कुशीनगर।
4. जिला खनन अधिकारी, कुशीनगर।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गोरखपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर उद्योग को निर्गत बन्दी आदेश का 03 कार्यदिवस में अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करे।

०/८

स्पॉट मेमो

कार्यवाही दिनांक: ०९/०३/२६

मेसर्स श्री राम सिंह स्प्रॉयर्स प्रा. लि. - सिंगर, पो. कुबेरखाना त. कसया कुशीनगर को मा० एन०जी०टी० नई दिल्ली में योजित ओ०ए० सं०- 248/2025 अमित मदेशिया बनाम उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 22.12.2025 एवं उ०प्र० राज्य बोर्ड के बन्दी आदेश सं० 32198/वृत्त-6/ई०.प्र०-865/बन्दी आदेश 01/09/25 के अनुपालन में आज दिनांक ०९/०३/२६ को उक्त ईट भट्टे का जिला प्रशासन/पुलिस टीम, खनन विभाग, जिला पंचायत एवं उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ संयुक्त निरीक्षण/सर्वेक्षण किया गया। निरीक्षण के समय ईट भट्टा संचालित पाया गया। संदर्भित ईट भट्टा उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से स्थापनार्थ/संचालनार्थ सहमति (जल/वायु) प्राप्त नहीं की गयी है। मौके पर ईट भट्टे का संचालन कार्य बन्द कराया गया एवं उपस्थित ईट भट्टा प्रतिनिधि श्री आनिल राजेश लिट (भुय्या) को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से संचालनार्थ सहमति (जल/वायु) प्राप्त किये बिना भट्टा संचालित न किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

ईट भट्टा प्रतिनिधि

राजेश लिट

९/३/२६

Abhinav
9/3/26

खान आधिकारी

25m/प्रशासन/कादल
9/03/2026
उत्तर प्रदेश

Nitesh Kumar
9/03/2026
UPPCB

mducm (25)


9/03/2026

L.A

UPPCB L.A

9/3/26
nrw

M/s Shri Ram Singh HUF, Vill-Singaha, Post- Kubersthan, Tehsil-Kasia, Distt- Kushinagar





उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD
T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow -226010
Phone: 2720831, 2720828 Fax: 0522 - 2720764
Email: info@uppcb.in • Web Site: www.uppcb.in

संदर्भ संख्या.....H32151 वृत्त-6/ईट भट्टा-866/बन्दी आदेश/गोरखपुर/2025 01/09/25
दि०..

सेवा में,

पंजीकृत

मेसर्स माँ विध्यवासिनी ईट उद्योग,
ग्राम-कुड़वा उर्फ दिलीप नगर, तहसील-कसया,
जनपद-कुशीनगर (मो0-9838228311)

यह कि मेसर्स माँ विध्यवासिनी ईट उद्योग, ग्राम-कुड़वा उर्फ दिलीप नगर, तहसील-कसया, जनपद-कुशीनगर जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, कच्चे माल के रूप में बालू, मिट्टी एवं पानी का प्रयोग कर 20,000 ईट प्रतिदिन के उत्पादन किये जाने हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित है, वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण), अधिनियम, 1981 की धारा 2 (ट) के अंतर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि उद्योग को बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक सं0-एच.30904/वृत्त-6/ईट भट्टा-866/का0ब0नो0/गोरखपुर/2025 दिनांक 31.07.2025 के द्वारा कारण बताओ नोटिस पंजीकृत डाक के माध्यम से प्रेषित किया गया था तथा साथ ही साथ क्षेत्रीय कार्यालय, गोरखपुर द्वारा भी उक्त कारण बताओ नोटिस की प्रति ईट भट्टे को दिनांक 02.08.2024 को प्राप्त करा दिया गया था। किन्तु ईट भट्टे द्वारा कारण बताओ नोटिस के परिप्रेक्ष्य में राज्य बोर्ड को कोई उत्तर/प्रत्यावेदन उपलब्ध नहीं कराया गया है।

यह कि कारण बताओ नोटिस दिनांक 31.07.2025 के अनुक्रम में राज्य बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, गोरखपुर द्वारा ईट भट्टे का स्थलीय निरीक्षण दिनांक 18.08.2025 को किया गया तथा निरीक्षण के समय ईट भट्टा का संचालन कार्य बन्द पाया गया।

यह कि राज्य बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, गोरखपुर की उक्त आख्यानुसार ईट भट्टे का जिओ को-आर्डिनेट्स-26.69449 अक्षांश एवं 83.936967 देशान्तर है। ईट भट्टा स्थल के पूरब दिशा में लगभग 1.0 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम- सिसई, अनुमानित आबादी लगभग 500 स्थित है। पश्चिम दिशा में लगभग 800 मीटर की दूरी पर ग्राम गुरमिया, गोपाल टोला, अनुमानित आबादी 600 स्थित है। उत्तर दिशा में लगभग 900 मीटर की दूरी पर ग्राम कुड़वा उर्फ दिलीप नगर, अनुमानित आबादी लगभग 800 स्थित है। दक्षिण दिशा में लगभग 800 मीटर की दूरी पर ग्राम- कुड़वा उर्फ दिलीप नगर का अक्षयबर टोला, अनुमानित आबादी लगभग 250 स्थित है। पश्चिम-उत्तर दिशा में लगभग 260 मीटर की दूरी पर मेसर्स वैरिस्टर सिंह ईट उद्योग, ग्राम कुड़वा उर्फ दिलीप नगर स्थित है। उक्त से स्पष्ट है कि ईट भट्टे का स्थल उ0प्र0 ईट भट्टा (स्थापना हेतु स्थल मापदण्ड) नियमावली, 2012 के अनुरूप नहीं है।

यह कि ईट भट्टे को राज्य बोर्ड से स्थापनार्थ एवं संचालन हेतु सहमति निर्गत नहीं किया गया है। बोर्ड से सहमति प्राप्त किये बिना ईट भट्टे की स्थापना किया जाना वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) के आज्ञापक प्राविधानों

गोरखपुर के क्षेत्रीय कार्यालय
आज को प्राप्त किया गया है।
मान्यता अर्पित
03-10-25

A/E: CA/CA
03/10/25

का उल्लघन है।

यह कि उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में राज्य बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, गोरखपुर के पत्र दिनांक 20.08.2025 द्वारा कारण बताओ नोटिस की पुष्टि करते हुए बन्दी आदेश किये जाने की संस्तुति आख्या प्राप्त हुई है।

अतएव जन-स्वास्थ्य एवं व्यापक जन-हित में जन साधारण को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने के लिए आवश्यक है कि ईट भट्टे के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं राज्य बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी, गोरखपुर की संस्तुति के दृष्टिगत उद्योग मेसर्स माँ विध्यवासिनी ईट उद्योग, ग्राम-कुड़वा उर्फ दिलीप नगर, तहसील-कसया, जनपद-कुशीनगर के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 (यथासंशोधित) की धारा-31 ए के अन्तर्गत निम्न बन्दी आदेश जारी किया जाता है-

1. यह कि मेसर्स माँ विध्यवासिनी ईट उद्योग, ग्राम-कुड़वा उर्फ दिलीप नगर, तहसील-कसया, जनपद-कुशीनगर के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि आपके ईट भट्टे मेसर्स माँ विध्यवासिनी ईट उद्योग, ग्राम-कुड़वा उर्फ दिलीप नगर, तहसील-कसया, जनपद-कुशीनगर की खनन अनुज्ञा एवं स्थानीय लाइसेन्स को तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुए ईट भट्टे को मिलने वाली अन्य सुविधाओं को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दें।

Digitally signed by
Radhey Shyam
16: प्रभासी, वृत्त-6

प्रतिलिपिरू- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. जिलाधिकारी, कुशीनगर।
2. पुलिस अधीक्षक, कुशीनगर।
3. अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, कुशीनगर।
4. जिला खनन अधिकारी, कुशीनगर।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गोरखपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर उद्योग को निर्गत बन्दी आदेश का 03 कार्यदिवस में अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करे।

स्पॉट मेमो


कार्यवाही दिनांक: ०९/०३/२६

मेसर्स मां विद्युत्वाहिनी ईट उद्योग, गा. कुसा उर्फ दिल्ली नगर, त. कसया कुशीनगर को मा० एन०जी०टी० नई दिल्ली में योजित ओ०ए० सं०- 248/2025 अमित मद्धेशिया बनाम उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 22.12.2025 एवं उ०प्र० राज्य बोर्ड के बन्दी आदेश सं० 32151/वृत्त-6/ई०१०-866/बन्दी आदेश/गी०/2025, ०१/०९/२५ के अनुपालन में आज दिनांक ०९/०३/२६ को उक्त ईट भट्ठे का जिला प्रशासन/पुलिस टीम, खनन विभाग, जिला पंचायत एवं उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ संयुक्त निरीक्षण/सर्वेक्षण किया गया। निरीक्षण के समय ईट भट्ठा संचालित पाया गया। संदर्भित ईट भट्ठा उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से स्थापनार्थ/संचालनार्थ सहमति (जल/वायु) प्राप्त नहीं की गयी है। मौके पर ईट भट्ठे का संचालन कार्य बन्द कराया गया एवं उपस्थित ईट भट्ठा प्रतिनिधि श्री संतोष सिंह को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से संचालनार्थ सहमति (जल/वायु) प्राप्त किये बिना भट्ठा संचालित न किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

ईट भट्ठा प्रतिनिधि

संतोष सिंह 9-3-26 ध्यान अधिकारी

Abdul K
9/3/26


9/3/2026
L.A.
UPPCLBGLK

Nitesh Kumar
JE
UPPCLB
9/3/2026


NT Ues
11/3/26


9/3/2026

M/s Maa Vindhyavasini Int Udyog, Vill & Post- Kudwa urf Dilip Nagar, Tehsil-Kasia, Distt- Kushinagar.



EC Calculation of Brick Kilns in compliance of Hon'ble NGT Order dated 22-12-2025 in the matter of "O.A. No. 248 of 2025 Amit Maddheshiya Vs Uttar Pradesh Pollution Control Board & Ors."

S. No	Name & Address of Brick Kiln	Date of Production Starts	Inspection Date	Total non Complying days	EC Calculation	Total amount
1.	M/s Janta Int Nirmata, Vill- Mahason, Post- Karkhana Mahua, Tehsil-Kasia, Distt- Kushinagar	01-10-2025	09-03-2026	160 Days	Penalty = $PI \times N \times R \times S \times LF$ PI = Pollution Index Pollution Index is 41-59 for Orange Category Industries. So PI = 50 N = Number of Days (160 Days) R = Rs. 250.00 S = 0.5 Category of Industry (for Small category 0.5, Medium Cate.-1.0 & Large Cate.-1.5) LF = Location factor (Location factor for population less than 1.0 Million is 1.0) LF = 1.0 Penalty Rate = $PI \times N \times R \times S \times LF$ $= 50 \times 160 \times 250 \times 0.5 \times 1.0$ $= 10,00,000.00$	Rs. 10,00,000.00
2.	M/s Anil Kumar Singh HUF, Vill & Post- Deena Patti, Tehsil-Kasia, Distt- Kushinagar	01-10-2025	09-03-2026	160 Days	Penalty = $PI \times N \times R \times S \times LF$ PI = Pollution Index Pollution Index is 41-59 for Orange Category Industries. So PI = 50 N = Number of Days (160 Days) R = Rs. 250.00 S = 0.5 Category of Industry (for Small category 0.5, Medium Cate.-1.0 & Large Cate.-1.5)	Rs. 10,00,000.00



L.A





					<p>LF = Location factor (Location factor for population less than 1.0 Million is 1.0)</p> <p>LF = 1.0</p> <p>Penalty Rate = $PI \times N \times R \times S \times LF$ $= 50 \times 160 \times 250 \times 0.5 \times 1.0$ $= 10,00,000.00$</p>	
3.	M/s R K B Int Udyog, Vill & Post-Kudwa urf Dilip Nagar, Tehsil-Kasia, Distt-Kushinagar	01-10-2025	09-03-2026	160 Days	<p>Penalty = $PI \times N \times R \times S \times LF$ PI = Pollution Index Pollution Index is 41-59 for Orange Category Industries. So PI = 50 N = Number of Days (160 Days) R = Rs. 250.00 S = 0.5 Category of Industry (for Small category 0.5, Medium Cate.-1.0 & Large Cate.-1.5)</p> <p>LF = Location factor (Location factor for population less than 1.0 Million is 1.0)</p> <p>LF = 1.0</p> <p>Penalty Rate = $PI \times N \times R \times S \times LF$ $= 50 \times 160 \times 250 \times 0.5 \times 1.0$ $= 10,00,000.00$</p>	Rs. 10,00,000.00
4.	M/s Barister Singh Int Udyog, Vill & Post- Kudwa urf Dilip Nagar, Tehsil-Kasia, Distt-Kushinagar	01-10-2025	09-03-2026	160 Days	<p>Penalty = $PI \times N \times R \times S \times LF$ PI = Pollution Index Pollution Index is 41-59 for Orange Category Industries. So PI = 50 N = Number of Days (160 Days) R = Rs. 250.00 S = 0.5 Category of Industry (for Small category 0.5, Medium Cate.-1.0 & Large Cate.-1.5)</p>	Rs. 10,00,000.00


L.A


SR



					<p>LF = Location factor (Location factor for population less than 1.0 Million is 1.0)</p> <p>LF = 1.0</p> <p>Penalty Rate= PI x N x R x S x LF = 50 x 160 x 250 x 0.5 x 1.0 = 10,00,000.00</p>	
5.	M/s Jai Ambey Int Udyog, Vill-Gambhirpur, Post-Singhari, Tehsil-Kaptan Ganj, Distt-Kushinagar	01-10-2025	10-03-2026	161 Days	<p>Penalty = PI x N x R x S x LF</p> <p>PI = Pollution Index</p> <p>Pollution Index is 41-59 for Orange Category Industries.</p> <p>So PI = 50</p> <p>N = Number of Days (161 Days)</p> <p>R = Rs. 250.00</p> <p>S = 0.5 Category of Industry (for Small category 0.5, Medium Cate.-1.0 & Large Cate.-1.5)</p> <p>LF = Location factor (Location factor for population less than 1.0 Million is 1.0)</p> <p>LF = 1.0</p> <p>Penalty Rate= PI x N x R x S x LF = 50 x 161 x 250 x 0.5 x 1.0 = 10,06,250.00</p>	Rs. 10,06,250.00
6.	M/s Shri Ram Singh HUF, Vill-Singaha, Post-Kubersthan, Tehsil-Kasia, Distt-Kushinagar	01-10-2025	09-03-2026	160 Days	<p>Penalty = PI x N x R x S x LF</p> <p>PI = Pollution Index</p> <p>Pollution Index is 41-59 for Orange Category Industries.</p> <p>So PI = 50</p> <p>N = Number of Days (160 Days)</p> <p>R = Rs. 250.00</p> <p>S = 0.5 Category of Industry (for Small category 0.5, Medium Cate.-1.0 & Large Cate.-1.5)</p>	Rs. 10,00,000.00





L.A




					<p>LF = Location factor (Location factor for population less than 1.0 Million is 1.0)</p> <p>LF = 1.0</p> <p>Penalty Rate= $PI \times N \times R \times S \times LF$ $= 50 \times 160 \times 250 \times 0.5 \times 1.0$ $= 10,00,000.00$</p>	
7.	M/s Maa Vindhya Vasini Int Udyog, Vill & Post-Kudwa urf Dilip Nagar, Tehsil-Kasia, Distt-Kushinagar	01-10-2025	09-03-2026	160 Days	<p>Penalty = $PI \times N \times R \times S \times LF$</p> <p>PI = Pollution Index</p> <p>Pollution Index is 41-59 for Orange Category Industries.</p> <p>So PI = 50</p> <p>N = Number of Days (160 Days)</p> <p>R = Rs. 250.00</p> <p>S = 0.5 Category of Industry (for Small category 0.5, Medium Cate.-1.0 & Large Cate.-1.5)</p> <p>LF = Location factor (Location factor for population less than 1.0 Million is 1.0)</p> <p>LF = 1.0</p> <p>Penalty Rate= $PI \times N \times R \times S \times LF$ $= 50 \times 160 \times 250 \times 0.5 \times 1.0$ $= 10,00,000.00$</p>	Rs. 10,00,000.00

The above report is submitting for your perusal and necessary action.


 (Dr. R.K. Singh)
 L.A.


 (Ram Milan Verma)
 S.A.


 (Purnaditya Pratap Singh)
 A.E.E.

Regional Officer,


 11/03/26